अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ

वाद सं0–1/2022

इंतखाब अजमल —बनाम्— शमशाद शेख वगैरह

आदेश

03.03.22 थाना प्रभारी, जमुआ के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर सुना गया।

प्रथम पक्ष की ओर से वादग्रस्त भूमि को वर्ष 1998 के दस्तावेज से प्राप्त कर दखलकार रहने एवं द्वितीय पक्ष द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर जबरन दखल करने को प्रयासरत रहने का उल्लेख कर कार्यवाही को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत परिवर्त्तित करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष की ओर से अपने पूर्वजों के खतियानी भूमि पर दखलकार रहने का उल्लेख कर उसे प्रथम पक्ष द्वारा जबरन दखल करने को प्रयासरत रहने का तथ्य प्रस्तुत किया गया एवं जारी निषेधाज्ञा को स्वयं से रिक्त कर इसे प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष करने का अनुरोध किया गया।

पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत पक्ष तथा प्रतिवेदन के अवलोकन से खतियान एवं दस्तावेज के आधार पर अपने–अपने हिस्से एवं दखल का दावा कर रहे पक्षकारों के विवाद का निदान वस्तुतः सक्षम न्यायालय के अधिकारिता में रहना पाकर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

3/3/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.02.07 20:23:08 +05:30
Location: 192.168.1.3